टी०ए० मिस केस सं० 337/2020-21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
28-01-2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **जयराम महली, पिता/पति– स्व० चोकरो महली, ग्राम–मटकोबेड़ा, थाना–मुफ्फसिल, जिला–पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा–**मटकोबेड़ा**, थाना नं0– **78**, खाता न0– **202**, प्लॉट न0–**611 612**, क्रमशः रकवा– **$0.12\frac{1}{2}$** एंव **0.28**एकड़, **कुल रकवा– $0.40\frac{1}{2}$ एकड़** भूमि क्रेता **विकाश हेम्ब्रम, पिता/पति– श्री कमल किशोर हेम्ब्रम, ग्राम– मटकोबेड़ा**, थाना– **मुफ्फसिल**, के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, खूँटपानी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के बड़ा पिताजी के नाम पर हालसर्वे खतियान में दर्ज होकर है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, खूँटपानी का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **20**, दिनांक **12.01.2021** के द्वारा प्राप्त है। मकान निर्माण तथा अन्य खर्च हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **विकाश हेम्ब्रम, पिता/पति– श्री कमल किशोर हेम्ब्रम, ग्राम– मटकोबेड़ा**, थाना– **मुफ्फसिल**, के पास **1,88,000.00/–(एक लाख आठासी हजार रुपये)मात्र।** में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी **5.00** एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, खूँटपानी एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **जयराम महली, पिता/पति– स्व० चोकरो महली, ग्राम–मटकोबेड़ा**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **मटकोबेड़ा**, थाना नं0– **78**, खाता न0– **202**, प्लॉट न0–**611 612** , क्रमशः रकवा– **$0.12\frac{1}{2}$** एंव **0.28**एकड़, **कुल रकवा– $0.40\frac{1}{2}$ एकड़**, भूमि को क्रेता **विकाश हेम्ब्रम, पिता/पति– श्री कमल किशोर हेम्ब्रम, ग्राम– मटकोबेड़ा**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति .... दी जाती है। लेखापित 28/01 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 28/01/2021 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	